निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या : 117/2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर **द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार** देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर **के माह** 04/2014 से माह 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राजबहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 22.12.2016 से 29.12.2016 तक श्री अविनाश चन्द्र कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा** श्री नवीन शंखधर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एफ.आर. खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16.10.2014 से 27.10.2014 तक श्री डी.एन. मिश्रा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2009 से माह 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2014 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -इकाई द्वारा श्रीनगर परिधि क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

धनराशि ` लाख में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/ आधिक्य	आवंटन	व्यय	बचत/ आधिक्य
2014-15	46.466	195.203	251.987	231.788	66.665	1296.280	1194.950	296.533
2015-16	66.665	296.533	190.070	244.240	12.495	745.330	865.900	175.963
2016-17 (upto 11/2016)	12.495	175.963	367.440	184.693	195.242	585.247	621.490	139.720

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित **योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः**

धनराशि ` लाख में

क्र.सं.	**योजना का नाम**	**2014-15**			**2015-16**		
		प्रारम्भिक अवशेष	**प्राप्त**	**व्यय**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**
1	एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.	00	838.250	755.382	82.868	549.282	799.963
2	नाबार्ड	00	00	00	00	00	

इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन एवं प्रबन्ध निदेशक, पेयजल निगम तथा जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई 'ब' श्रेणी की है।

कार्यालय का संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है-:

सचिव, पेयजल–प्रबन्ध निदेशक पेयजल–मुख्य अभियन्ता–अधीक्षण अभियन्ता–अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा–निर्देशों के अनुसार जिन–जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाए) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाए) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 10/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। ऋषि झंगारबों पेयजल योजना, उफल्डा पम्पिंग पेयजल योजना, आदि का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन यादृच्छिक आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (अ)

प्रस्तर-1 ऋषि झंगारबों ग्राम समूह पेयजल योजना पर ` 370.10 लाख की धनराशि व्यय किए जाने के उपरांत पेयजल योजना का अपूर्ण रहना !

अधिशासी अभियंता,निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2006-07 में राज्य सैक्टर की ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल की ऋषि झंगारबों ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु ` 445.97 लाख के आगणन के सापेक्ष ` 368.70 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-744/उन्तीस(2)(45 पे.)/2006/दिनांक 17.06.2006 के द्वारा प्रदान की गयी थी !उक्त पेयजल योजना के तहत जोन-1 के अंतर्गत राजस्व ग्राम ऋषि झंगारबों, माथीगाँव, ताल एवं चोपड़ा आदि ग्रामों को तथा जोन-2 के अंतर्गत छमगाँव, बजवाड़,सलाना एवं डमलोट आदि ग्रामों की 2794 जनसंख्या को पेयजल सुविधा प्रदान की जानी थी !

संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि इकाई द्वारा उक्त योजना पर जुलाई-2006 से अप्रैल-2016 तक की अवधि में स्वीकृत धनराशि ` 368.70 लाख के सापेक्ष ` 370.10 लाख की धनराशि व्यय करने के उपरांत उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या-524/उन्तीस(2)/16-2(07पे.)/2010/दिनांक-08.04.2016 के द्वारा पेयजल निगम द्वारा पूर्ण निर्मित सभी योजनाओं को जल संस्थान को हस्तांतरित करते हुए उनकी सूची शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किए जाने के अनुपालन में अप्रैल-2016 में पूर्ण दर्शाते हुए उसकी लेखाबन्दी जून-2016 में की गयी !

संप्रेक्षा के दौरान आगे की जांच में उदघटित हुआ कि अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, पौड़ी के द्वारा मार्च 2016 में उक्त योजना के हस्तांतरण हेतु आवश्यक परंतु अप्राप्त अभिलेखों की सूची (मूल प्राक्कलन,संशोधित प्राक्कलन, प्राक्कलन के अनुसार इंडेक्स प्लान,वर्तमान में श्रोत का श्राव, जलासय विवरण, जलासय तथा अन्य निर्माण हेतु प्राप्त की गयी भूमि के अभिलेख, पेयजल योजना की टी.एंड.पी. तथा योजना का निर्माण प्राक्कलन के अनुसार किए जाने संबंधी अभिलेख आदि) अधिशासी अभियंता,निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर को उपलब्ध कराई गई थी तथा साथ ही उक्त पेयजल योजना के संयुक्त भौतिक निरीक्षण हेतु भी आग्रह किया गया था ! जबकि संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि वर्तमान तक खंडीय स्तर से न तो उक्त योजना के हस्तांतरण हेतु आवश्यक वांछित अभिलेख एवं न ही उक्त पेयजल योजना के संयुक्त भौतिक निरीक्षण से संबन्धित निरीक्षण रिपोर्ट ही अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, पौड़ी को प्रेषित की जा सकी थी! **जिसके अभाव में उक्त पेयजल योजना जल संस्थान, पौड़ी को हस्तांतरित न हो पाने के परिणामस्वरूप कार्य प्रारम्भ होने के 10 वर्षों बाद भी योजना पर ` 370.10 लाख की धनराशि व्यय किए जाने के बावजूद उक्त पेयजल योजना के तहत जोन-1 के अंतर्गत राजस्व ग्राम ऋषि झंगारबों, माथीगाँव, ताल एवं चोपड़ा आदि ग्रामों को तथा जोन-2 के अंतर्गत छमगाँव, बजवाड़,सलाना एवं डमलोट आदि ग्रामों की 2794 जनसंख्या पेयजल सुविधा से लेखापरीक्षा तिथि (दिसंबर 2016) तक वंचित थी !**

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रखण्ड द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि उक्त पेयजल योजना वर्ष 2012 में लगभग पूर्ण हो चुकी थी इसी कारण योजना के हस्तांतरण संबंधी प्रपत्र जल संस्थान को प्रेषित किए गए थे परंतु उक्त योजना में कुछ कमियाँ होने एवं लेखाबन्दी न किए जाने के कारण हस्तगत नहीं की गयी तदुपरान्त अप्रैल 2016 में योजना पूर्ण कर पानी चलाया गया परंतु जुलाई-अगस्त 2016 में भारी वर्षा तथा मार्ग कटान के कारण योजना पुनः क्षतिग्रस्त हो गई ! जिसकी मरम्मत हेतु ` 42.63 लाख का प्राक्कलन ज़िला योजना के अंतर्गत विरचित कर लिया गया ! जिसके सापेक्ष ` 5.00 लाख की धनराशि अवमुक्त भी होने के उपरांत अनुबंध भी गठित किया जा चुका है !

प्रखण्ड के उत्तर से स्वतः ही स्पष्ट है कि यदि प्रखण्ड स्तर पर वर्ष 2012 में ही योजना विधिवत पूर्ण कर लेखाबन्दी करते हुए सभी वांछित प्रपत्रों सहित जल संस्थान को हस्तगत करा दी जाती तो योजना के अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त होने पर उसकी मरम्मत की ज़िम्मेदारी भी जल संस्थान की होती ! जबकि प्रखण्ड स्तर पर ऐसा नहीं किया जा सका ! जिसके परिणामस्वरूप ही उक्त पेयजल योजना कार्य प्रारम्भ होने के 10 वर्ष से भी अधिक की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी निकट भविष्य में पूर्ण एवं हस्तांतरित होने की संभावना नहीं है !

अतः ऋषि झंगारबों ग्राम समूह पेयजल योजना पर ` 370.10 लाख की धनराशि व्यय किए जाने के उपरांत भी योजना के अपूर्ण रहने के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों की 2794 जनसंख्या के पेयजल सुविधा से वंचित रहने संबंधी प्रकरण को शासन के **संज्ञान में लाया जाता है !**

भाग दो–ब

प्रस्तरः 01 कार्मिकों के भविष्य निधि अंशदान की धनराशि के सापेक्ष बैंक में सावधि जमा एवं बचत खाते में रु0 65.48 लाख कम पाया जाना।

कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों का सामान्य भविष्य निधि अंशदान की धनराशि का रख–रखाव मुख्यालय स्तर पर एवं इकाई द्वारा किया जाता है। विभागीय नियमानुसार कार्मिकों के भविष्य निधि अंशदान की धनराशि 75 प्रतिशत सावधि जमा तथा 25 प्रतिशत बचत बैंक खाते में रखा जाता है।

कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों के भविष्य निधि अंशदान की धनराशि के रख–रखाव से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि 03/2016 के अन्त में 37 नियमित कार्मिकों के खाते में लेजर एवं पासबुक के अनुसार अवशेष रु0 156.45 लाख थी जिसके सापेक्ष सावधि जमा तथा बचत खाते में अवशेष धनराशि कुल रु0 105.22 लाख थी। इस प्रकार से बैंक खाते में भविष्य निधि लेजर के अवशेष के सापेक्ष रु0 51.23 लाख कम पायी गयी। इसी प्रकार 07 नियमित फील्ड कर्मचारी एवं 11 अंशदायी पेंशन योजना से सम्बन्धित कार्मिकों के सम्बन्ध में 03/2016 के अन्त में भविष्य निधि खाते में लेजर एवं पासबुक के अनुसार अवशेष रु0 34.07 लाख थी जिसके सापेक्ष बैंक में सावधि जमा तथा बचत खाते की अवशेष कुल धनराशि रु0 19.82 लाख थी। इस प्रकार से बैंक खाते में भविष्य निधि लेजर के अनुसार रु0 14.25 लाख कम पायी गयी। इस प्रकार से दोनों प्रकरणों में भविष्य निधि अवशेष के सापेक्ष सावधि जमा तथा बचत खाते में कुल धनराशि रु0 65.48 लाख कम पायी गयी। कम पायी गयी धनराशि के सम्बन्ध में बैलेन्स सीट में रु0 10.308 लाख मुख्यालय लखनऊ द्वारा पंचम वेतन आयोग की धनराशि उपलब्ध न कराया जाना दर्शाया गया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्यालय लखनऊ से पंचम वेतन आयोग की धनराशि प्राप्त करने के लिए कार्यालय स्तर पर कोई पत्राचार नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि मुख्यालय द्वारा भविष्य निधि की धनराशि की प्रतिपूर्ति कम किये जाने के कारण वर्ष दर वर्ष अन्तर बढता जा रहा है। इकाई द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित धनराशि रु0 55.17 लाख के अन्तर के समायोजन के लिए मुख्यालय स्तर से पत्राचार किया जाएगा।

अतः कार्मिकों के भविष्य निधि अंशदान की जमा धनराशि के सापेक्ष बैंक में सावधि जमा एवं बचत खाते में रु0 65.48 लाख कम पाये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 : केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं पर अनियमित रूप से रू0 136.63 लाख सेन्टेज प्रभारित किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 531/उन्नीस/05/2 (पे.ज.) 2004 (03/2006) के अनुसार उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही समस्त केन्द्रपोषित योजनाओं पर सेन्टेज चार्जेज की धनराशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम श्रीनगर के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2014–15 से 2015–16 (11/2016) तक केन्द्रपोषित योजनाओं पर रू0 136.63 लाख सेन्टेज भारित किया गया है। विवरण निम्नवत् है :

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना की लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	भारित प्रतिशत प्रभार (12.5 प्रतिशत)
01	कोपलाताल ग्राम ग्रा. स.पे.यो.	2908.55	349.64	243.72	30.46
02	ढिकलवाल गांव ग्रा. से.पे.यो.	2757.69	712.30	849.418	106.17
	योग				**136.63**

इस प्रकार शाखा द्वारा केन्द्रपोषित योजनाओं पर रू0 136.63 लाख को सेन्टेज भारित किया गया है। उल्लेखित शासनादेश के अनुसार इकाई द्वारा केन्द्रपोषित येाजनाओं पर सेन्टेज भारित नहीं किया जाना चाहिए था। सेन्टेज की धनराशि को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। जिसका अनुपालन शाखा द्वारा नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि केन्द्र की परियोजनाओं पर सेन्टेज मुख्यालय द्वारा कटौती के उपरान्त धनराशि शाखा को उपलब्ध करायी जाती है। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान था कि केन्द्रपोषत योजनाओं पर सेन्टेज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

अतः केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं पर अनियिमत रूप से रू0 136.63 लाख सेन्टेज प्रभारित किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 3 : रू0 43.18 लाख के कार्य के लिए व्यापक निविदा आमंत्रित न कर प्रक्योरमेंट नियमावली का अनुपालन न किया जाना एवं 01 से 04 वर्ष पूर्व अवमुक्त अग्रिम धनराशि रू0 50.31 लाख की धनराशि का असमायोजित रहना।

शासनादेश संख्या 653/उन्तीस (2)/13–2/2011 अंतर्गत उफल्डा पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु टी.ए.सी. द्वारा स्वीकृत रू0 207.02 जिसके सापेक्ष जिलाधिकारी पौड़ी के क्रमशः पत्रांक संख्या 2863, 02 631 एवं 872 के सापेक्ष क्रमशः (रू0 50 लाख रू 60 लाख रू0 50 लाख एवं रू0 45. 02 लाख) कुल रू0 207.02 लाख अवमुक्त किये गये। जिसमें सिविल कार्य हेतु (रू0 150.41 एवं यांत्रिक कार्य हेतु रू0 56.61 लाख सेन्टेज सहित)। स्वीकृत किये गये थे। कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, वृत्त पौड़ी के पत्रांक संख्या 31/जिला योजना/2013–14 दिनांक 02.07. 2013 के अनुपालन में योजना के लिए रू0 207.02 लाख की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त हुई। शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान था कि समस्त कार्य प्रक्योरमेंट नियमावली के अनुसार निष्पादित कराये जाये।

प्रक्योरमेंट नियमावली 2008 के अध्याय दो के बिन्दु 13 यह प्रावधान (जून 2015 से पूर्व) है कि रू0 25 लाख तथा उससे अधिक की अनुमानित लागत की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार–पत्रों में विज्ञापन द्वारा आमंत्रित की जाए। अध्याय 03 में निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति के बिन्दु 01 में प्रावधान है कि निविदा की जो प्रक्रिया अध्याय 02 में है वह यथावत् निर्माण कार्य हेतु भी लागू होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर के निर्माण से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि उफल्डा पम्पिंग पेयजल योजना सिविल कार्य हेतु अल्पकालीन निविदायें आमंत्रित की गयी थी। जिनमें तीन अनुबन्ध गठित किये गये। विवरण निम्न है :

क्र.सं.	**अनुबंध संख्या**	**कार्य प्रारम्भ होने की तिथि**	**कार्य समाप्त होने की तिथि**	**कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि**	**निविदा की धनराशि**	**अनुबंध की धनराशि**	**वास्तविक व्यय**
01	03/ई ई/2013–14	27.01.13	26.03.14	16.07.14	43.18	33.91	34.93

02	03/एई/2015–16	16.03.16	15.05.16	10.05.16	2.99	2.81	2.51
03	01/एई/2015–16	16.03.16	15.05.16	11.05.16	2.66	2.65	2.77

उक्त समस्त सिविल कार्य 06 माह पूर्व ही पूर्ण (11/2016) किये जा चुके हैं। अनुबंध संख्या 03/ईई/2013–14 की निविदा की धनराशि रू0 43.18 लाख थी जिसके लिए प्रक्योरमेंट नियमावली के अनुसार अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार–पत्रो में विज्ञापन द्वारा आमंत्रित किय जाने का प्रावधान है, जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त विद्युत एवं यांत्रिक शाखा, कोटद्वार को योजना पर विद्युत एवं यांत्रिक कार्य हेतु रू0 50.31 लाख की धनराशि विगत 01 से 04 वर्ष पूर्व अग्रिम प्रदान की गयी थी। जिसका समायोजन सम्प्रेक्षा अवधि (11/2016) तक नहीं हो पाया है। जबकि योजना के सिविल कार्य 06 माह पूर्व ही पूर्ण हो चूके हैं। शाखा का यह दायित्व था कि विद्युत एवं यांत्रिक विभाग कोटद्वार से यथाशीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाये एवं योजना से सम्बन्धित विद्युत एवं यांत्रिक कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाये। जिससे की योजना का लाभ यथाशीघ्र ग्रामीणों को मिल सके।

लेखापरीक्षा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि समयाभाव के कारण अल्पकालीन निविदायें आमंत्रित की गई एवं अग्रिम के समायोजन के संबंध में अवगत कराया गया कि विद्युत यांत्रिक शाखा एक स्वतंत्र शाखा है जिसका पृथक ऑडिट होता है। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है प्रक्योरमेंट नियमावली के अनुसार रू0 25 लाख के अधिक कार्य के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार–पत्रों में विज्ञापन द्वारा आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त विद्युत एवं यांत्रिक शाखा, कोटद्वार को योजना पर विद्युत एवं यांत्रिक कार्य हेतु रू0 50.31 लाख की धनराशि विगत 01 से 04 वर्ष पूर्व अग्रिम के रूप में प्रदान की गयी थी । जिसका समायोजन यथाशीघ्र प्राप्त किया जाना चाहिए था। जबकि प्रखण्ड द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

अतः रू0 43.18 लाख के कार्य के व्यापक निविदा आमंत्रित न करना एवं अग्रिम की धनराशि रू0 50.31 लाख विद्युत एवं यांत्रिक विभाग को अवमुक्त धनराशि को समायोजन न होने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाये जाते हैं।

भाग दो–ब

प्रस्तर 4 : निर्माण कार्यो के सापेक्ष उपकर रु0 12.71 लाख की धनराशि कटौती नहीं किया जाना तथा रु0 4,50 लाख काटी गयी उपकर की राशि का कार्यालय स्तर पर अवरोधन।

श्रम आयुक्त/सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम भवन, हल्द्वानी के पत्र संख्याः 1861/6–24–बी.ए.ओ.सी. 2010 दिनांक 15 जून 2012 द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यो जिसमें सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य भी सम्मिलित है, में नियोजित श्रमिकों को, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 एवं तत्सबंधी राज्य नियमावली 2005 के अनुसार श्रमिकों को हित लाभ दिये जाने का प्रावधान है। निर्माण श्रमिकों को देय हितलाभ बोर्ड की कल्याण निधि से दिये जायेगें। बोर्ड की कल्याण निधि में धन की व्यवस्था हेतु उपकर नियमावली 1998 के अन्तर्गत निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर के रुप में संग्रह करके संग्रहित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पदनाम से बनाया जाएगा तथा इसे श्रम आयुक्त/सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम भवन, हल्द्वानी को प्रेषित किया जाएगा।

कार्यालय निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर के निर्माण कार्यो के सापेक्ष ठेकेदारों को किये भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा अवधि माह 04/2014 से 04/2016 की अवधि में योजनाओं के निर्माण के सापेक्ष ठेकेदार को कुल धनराशि रु0 1270.819 लाख का भुगतान किया गया था। ठेकेदारों को किये गये इन भुगतानों से उपकर की धनराशि रु0 12.71 लाख की कटौती नहीं की गयी थी। इकाई द्वारा उपकर के राशि की कटौती माह 05/2016 से की जा रही है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यालय द्वारा माह 05/2016 से वर्तमान तक उपकर के रुप में काटी गयी धनराशि रु0 4,50,824/का ड्राफ्ट बनाकर श्रम भवन, हल्द्वानी को प्रेषित नहीं किया गया था, इस प्रकार कटौती की गयी धनराशि को कार्यालय स्तर पर अवरुद्ध रखा गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि मुख्यालय कार्यालय द्वारा शासनादेश की प्रति विलम्ब से प्रेषित किये जाने के कारण पूर्व वर्षो से उपकर कटौती नहीं की गयी तथा कार्यालय स्तर पर उपकर के रुप में काटी गयी धनराशि शीध्र ही ड्राफ्ट बनाकर हल्द्वानी

कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा। इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यालय स्तर पर शासनादेश की प्रति विलम्ब से प्राप्त होना उपकर की कटौती न किये जाने का कोई सार्थक कारण नहीं हो सकता।

अतः निर्माण कार्यो के सापेक्ष उपकर रु0 12.71 लाख की धनराशि कटौती नहीं किया जाना तथा रु0 4.50 लाख काटी गयी उपकर की राशि का कार्यालय स्तर पर अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर
59/2004-05	Nil	05	Nil
65/2005-06	Nil	07	Nil
45/2006-07	Nil	03	Nil
29/2007-08	Nil	02	Nil
08/2009-10	01, 02	01	Nil
106/2014-15	Nil	03	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		उपरोक्त अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के संबंध्रा में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि अनुपालन आख्या तैयार कर उच्चाधिकारियों की संस्तुति के साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।		

<u>भाग-IV</u>

<u>इकाई के सर्वोत्तम कार्य</u>

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

------------------------ शून्य-------------------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः - शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः-** शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
1	ई. श्री आशा राम	अधिशासी अभियन्ता
2	ई. श्री एस.पी. पेटवाल	अधिशासी अभियन्ता
3.	ई. श्री संदीप कश्यप	अधिशासी अभियन्ता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

(सामाजिक क्षेत्र)